

परिशिष्ट-15

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के पक्ष में प्रस्तुत किये जानेवाला जाति प्रमाण-पत्र अनुच्छेद 24 (II)

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक-.....

जाति प्रमाण-पत्र

जन सेवक के जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पति/सुपुत्र/सुपुत्री/श्री पोस्ट थाना जिला/डिविजन राज्य जाति..... समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति सूचि (संशोधित) आदेश, 1956 के अन्तर्गत तक अनुसूचित जाति मानी जा चुकी हैं ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या इनका परिवार साधारणतः ग्राम राज्य संघ/राज्य क्षेत्र के जिला/डिविजन में निवास करते हैं ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

वार्ड संख्या :-

सर्किल संख्या :-

होलिडिंग संख्या :-

राज्य

तिथि

कृपया अनुपयुक्त शब्द काट दें ।

नोट :- यहाँ प्रयोग किये गये साधारणतः निवास का अर्थ वही होगा जो की रिप्रजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है ।